



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 2716800, 2716816 ई-मेल: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक: एफ.1(1)/रा.प्र.नि.मं./स्था./

दिनांक:

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 51 के क्रियान्वन के क्रम में पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक: प01(9)/पर्या/2015/पार्ट-1 दिनांक 05-04-2021 के द्वारा वित्त विभाग की आईडी संख्या 10210119010 दिनांक 02.04.2021 से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में 10 नये क्षेत्रीय कार्यालयों (बांसवाड़ा, बून्दी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झूनू, नागौर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर) में नवीन पदों के सृजन की अनुमति/स्वीकृति के अनुसरण में निम्नानुसार पदों का सृजन/आवंटन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	पदनाम मय पे मैट्रिक्स लेवल					
		EE	AEE	JEE	Jr.Actt.	UDC	LDC
1.	बांसवाड़ा	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
2.	बून्दी	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
3.	हनुमानगढ़	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
4.	जैसलमेर	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
5.	झालावाड़	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
6.	झुन्झूनू	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
7.	नागौर	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
8.	राजसमंद	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
9.	सिरोही	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
10.	सवाई माधोपुर	01 (L-16)	01 (L-14)	03 (L-10)	01 (L-10)	01 (L-8)	01 (L-5)
	कुल पद	10	10	30	10	10	10

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
सदस्य सचिव

दिनांक: 05-04-2021

क्रमांक: एफ.1(1)/रा.प्र.नि.मं./स्था./34-45

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर
4. CEE/CSO/CAO/DDO, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (प्रशासन), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं.।
7. प्रभारी अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी (आई.टी.), रा.प्र.नि.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को राज्य मण्डल की वेबसाइट पर तुरन्त प्रभाव से अपलोड करें।
9. मुख्य पत्रावली।

सदस्य सचिव